

‘जीएसटी अधिकारी छापे के दौरान जब्त करी गई नकदी की राशि जल्द से जल्द वापस लौटायें’

हाईकोर्ट ने नियम स्पष्ट करते हुए कहा कि जीएसटी अधिकारियों को किसी भी सूरत में यह अधिकार नहीं है कि वह छापे के दौरान परिसर में पाई गई नकदी जब्त कर सकते हैं

-यादवेन्द्र शर्मा-
जयपुर, 28 सितम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट में इस मुद्दे को उठाते हुए कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें यह मुख्य सवाल था कि “क्या जीएसटी अधिकारियों द्वारा छापे के दौरान परिसर में पायी गयी नकदी को जब्त किया जा सकता है?” न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की खण्डपीठ ने कई अन्य हाईकोर्ट के आदेशों को उद्धृत करते हुए नियम को स्पष्ट कर दिया है कि जीएसटी अधिकारियों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे छापे के दौरान परिसर में मिली नकदी व वित्तीय परिसंपत्तियों को जब्त कर सकें। अदालत ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत जीएसटी अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं के निवास व कार्यालयों से जितनी भी नकदी जब्त की थी, उसे जल्द से जल्द लौटाया। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने के लिए मुख्यतः अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका पेश हुए थे।

- अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका ने अदालत को बताया कि सेंट्रल गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) 2017, में केवल “ गुड्स” (चल संपत्तियां या वस्तुओं) को परिभाषित किया गया है और इस कानून में विशेष रूप से “मनी” (नकदी) के विषय में कोई भी नियम या कायदा नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस गैरकानूनी तरीके से नकदी को जब्त करने की वजह से याचिकाकर्ताओं को ना केवल ब्याज बल्कि मुआवजा भी मिलना चाहिए।
- इस मामले में छह याचिकाएं दायर करी गई थीं। मुद्दा एक ही था कि जीएसटी अधिकारियों ने उनके आवास व कार्यालय के छापे के दौरान गैरकानूनी तरीके से परिसर में पाई गयी नकदी को भी जब्त कर लिया था। एक याचिका में बताया गया कि जीएसटी अधिकारियों ने परिसर में पाई गयी 1 लाख 10 हजार रुपए की नकदी को जब्त किया, एक अन्य याचिका में आरोप है कि अधिकारियों ने 40 लाख रुपए की नकदी जब्त करी, एक अन्य याचिका में यह आंकड़ा 33 लाख रुपए का था, और ऐसे ही दो अन्य याचिकाओं में यह आंकड़ा 25-25 लाख रुपए का था।

इस मामले में छह याचिकाएं एक ही मुद्दे को लेकर दायर की गई थीं कि, जीएसटी अधिकारियों ने उनके आवास व कार्यालय के छापे के दौरान परिसर में पाई गयी नकदी को भी गैर कानूनी तरीके से जब्त कर लिया था। एक याचिका में बताया गया कि जीएसटी अधिकारियों ने परिसर में पाई गयी 1

लाख 10 हजार रुपए की नकदी को जब्त किया, एक अन्य याचिका में आरोप है कि अधिकारियों ने 40 लाख रुपए की नकदी जब्त की, एक अन्य याचिका में यह आंकड़ा 33 लाख रुपए का था, और ऐसी ही दो अन्य याचिकाओं में यह आंकड़ा 25-25 लाख रुपए का था। इन सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं ने

हाईकोर्ट से गुहार की थी कि गैरकानूनी तरीके से जब्त की गई राशि को जीएसटी विभाग न केवल लौटाये, बल्कि जब्त की गई राशि पर ब्याज भी दे और क्षतिपूर्ति भी दे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका ने अदालत को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उज्जैन में मस्जिद हटाने के विरोध में पथराव, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 सितम्बर। सोमवार को उज्जैन में उस जगह पर पुलिस और बड़ी संख्या में लोगों के बीच टकराव की स्थिति बन गई, जहां सड़क चौड़ी करने की परियोजना के तहत, शाही मस्जिद के एक हिस्से को गिराया जाना

- शहर काजी ने कहा कि मस्जिद का मुद्दा सुलझ गया है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें।

प्रस्तावित है। घटनास्थल के वीडियो से यह जानकारी मिली। वीडियो में दिखा कि भीड़ ने सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। सड़क चौड़ी करने की यह योजना उज्जैन में किए जा रहे बड़े बुनियादी ढांचे के बदलाव का हिस्सा है। इसका उद्देश्य 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेले के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था करना है। कुल 272 ढांचों को गिराने के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव के पुत्रैनी घर का एक हिस्सा भी शामिल है, जिसे गिराने के काम में मुख्यमंत्री खुद भी शामिल हुए थे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रभारी व सहप्रभारियों की बैठक बुलाई

पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश स्तर के संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ नज़दीकी समन्वय स्थापित करना है

- श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 सितम्बर। अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां चुनाव अभियान शुरू होने से पहले ही भाजपा को चुनावी रूप से तैयार करने की कोशिश के तहत, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार को नव नियुक्त प्रभारियों और सह-प्रभारियों की बैठक बुलाई है। भाजपा ने 24 सितंबर को 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए थे। इनमें उत्तर प्रदेश के लिए विनोद तावड़े (चार सह-प्रभारियों के साथ), पंजाब के लिए सतीश पुनिया और उत्तराखंड के लिए राम माधव (तमिलनाडु के साथ) जैसी महत्वपूर्ण नियुक्तियां शामिल हैं। 29 सितंबर को पार्टी मुख्यालय में होने वाली यह बैठक इस नई टीम के लिए पहला बड़ा समन्वय कार्यक्रम है और इसका सीधा संबंध इन

- इस बैठक से भाजपा यह संदेश दे रही है कि वह 2027 के चुनावों को, नए राष्ट्रीय नेतृत्व की संगठनात्मक एकता का एक परीक्षण व परीक्षा मान रही है।

संगठनात्मक बदलावों से है। इसका उद्देश्य नबीन के अपेक्षाकृत नए एवं युवा नेतृत्व में, राज्य स्तर के नेताओं को पार्टी की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना है। बैठक का का एजेंडा मुख्य रूप से उन राज्यों पर रहने की उम्मीद है, जहाँ चुनाव होने हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। इसमें बुध स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, एनडीए के भीतर सहयोगी दलों के साथ तालमेल, उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया और केन्द्र सरकार की योजनाओं को स्थानीय चुनावी संदेश में बदलने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पार्टी जमीनी स्तर पर संपर्क अभियान को और तेज करके और योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज

को चुनावी मुद्दे के रूप में आगे बढ़ाकर, अपना प्रभाव बनाए रखने पर जोर देगी। सूत्रों ने बताया कि उत्तराखंड और पंजाब में मौजूदा जनाधार को मजबूत करने के साथ-साथ, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने और पारंपरिक मजबूत क्षेत्रों से बाहर विस्तार करने पर जोर रहेगा। 2027 के चुनावी चक्र में जाने वाले अन्य राज्यों के लिए रणनीति पर भी चर्चा होगी। विपक्ष के नैरेटिव का मुकाबला करना भी चर्चा का एक प्रमुख हिस्सा होगा। पार्टी से ऐसी रणनीति तैयार करने की उम्मीद है, जिसमें विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उपलब्धियों को प्रमुखता दी जाएगी, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने सपा के समक्ष 150 सीटों का दावा पेश किया

कांग्रेस इस दावे के बावजूद, किसी भी तरह, कम से कम 100 सीटों पर चुनाव तो लड़ना ही चाहती है

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 सितम्बर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगले सप्ताह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर औपचारिक बातचीत शुरू करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने 150 विधानसभा सीटें चिन्हित की हैं, जिनकी बात वह बातचीत के दौरान करेगी। दोनों पार्टियां कई बार कह चुकी हैं कि वे चुनाव साथ मिलकर लड़ना चाहती हैं, लेकिन राज्य की 403 विधानसभा सीटों का बंटवारा दोनों के बीच मतभेद का मुख्य मुद्दा बन गया है।

सूत्रों के अनुसार, बातचीत अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन अंतिम समझौते के लिए दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस नेता

- जैसी चर्चा है, यूपी विधानसभा चुनाव संभवतया, फरवरी-मार्च 2027 में होने की संभावना है।
- कांग्रेस का फोकस दलित व ब्राह्मण वोटर पर रहेगा। हालांकि, मुस्लिम नेताओं को भी अहमियत दे रही है। इमरान प्रतापगढ़ी को व सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, कांग्रेस के इस प्रयास की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं।

राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, की मंजूरी जरूरी होगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होने की उम्मीद है, हालांकि चुनाव आयोग ने अभी इसकी औपचारिक तारीखों की घोषणा नहीं की है।

दोनों पार्टियां इस संभावना को ध्यान में रखकर तैयारी कर रही है कि

उन्हें बड़ी संख्या में सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इसी तरह की समानांतर तैयारियों के कारण, दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से कुछ बयानबाजी भी हुई है। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने सीटों के बंटवारे की तैयारी के तहत, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों को “ए”, “बी” और “सी”- तीन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘कोमा में चल रहे कांस्टेबल को वेतन क्यों नहीं दिया’

जयपुर, 28 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोमा में चल रहे पुलिस कांस्टेबल को बीते एक साल से वेतन नहीं देने पर प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी व भरतपुर एसपी से जवाब देने के लिए कहा है। वहीं याचिका की कांपी

- हाई कोर्ट ने प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी तथा भरतपुर एसपी से जवाब मांगा।

अतिरिक्त महाधिवक्ता को दिलाते हुए इन अफसरों से पांच अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश पुलिस कांस्टेबल जोगेन्द्र सिंह की पत्नी उषा की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता के पति जोगेन्द्र सिंह भरतपुर में पुलिस कांस्टेबल हैं। वह 18 अगस्त 2024 को कार्य करते समय अचानक अस्वस्थ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एआई की दुविधा अब केवल काल्पनिक नहीं है

आस्ट्रेलिया की सरकार के स्वास्थ्य संबंधित डेटा की एआई द्वारा हुई चोरी के बाद यह तय करना जरूरी हो गया है कि एआई द्वारा लिए गए निर्णयों में अन्ततोगत्वा जवाबदेही किसकी है?

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 सितम्बर। एक एआई एजेंट द्वारा ऑस्ट्रेलिया सरकार के हेल्थ पोर्टल तक बिना अनुमति पहुँचने की घटना ने बिना निगरानी वाली आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के खतरों को उजागर किया है। यह घटना बताती है कि ऐसे सुरक्षा उपायों की तुरंत जरूरत है, जो यह सुनिश्चित करें कि एआई में होने वाला विकास समाज के प्रति जवाबदेह रहे। दुनिया ऐसी मशीनें बना रही है, जो कोड लिख सकती हैं, बीमारियों का पता लगा सकती हैं, फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं और पूरे उद्योगों का स्वरूप बदल सकती हैं। लेकिन जैसे-जैसे

- दूसरे शब्दों में इन एआई मशीनों की पुलिसिंग कौन करेगा?

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अधिक शक्तिशाली होती जा रही है, एक देकर यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के निजी मैडिकेयर डेटा तक पहुँच नहीं बनाई गई और इसका प्रभाव सीमित रहा। इस घटना का खुलासा 24 सितंबर, 2026 को किया गया और इसके बाद सरकार ने इसकी समीक्षा शुरू की है।

यह सवाल तब और महत्वपूर्ण हो गया, जब यह सामने आया कि ओपन एआई द्वारा विकसित एक एआई एजेंट ने जून में ऑस्ट्रेलिया सरकार के स्वास्थ्य आंकड़ों वाले पोर्टल तक बिना इजाजत पहुँच बनाई थी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि एजेंट ने कुछ ऐसी

फाइलों तक पहुँच बनाई जो सार्वजनिक नहीं थीं। हालाँकि अधिकारियों ने जोर देकर यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के निजी मैडिकेयर डेटा तक पहुँच नहीं बनाई गई और इसका प्रभाव सीमित रहा। इस घटना का खुलासा 24 सितंबर, 2026 को किया गया और इसके बाद सरकार ने इसकी समीक्षा शुरू की है।

इस घटना की गंभीरता केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि कौन-सी जानकारी देखी गई। बताया गया है कि एक इंटरनेट रिसर्च कार्य के दौरान काम

कर रहे एआई एजेंट ने अपनी शुरुआती पहुँच की अनुमति दुकुराए जाने के बाद, कुछ प्रतिबंधों को पार कर लिया। इससे एक चिंताजनक सवाल उठता है: तब क्या होगा, जब कोई तेजी से स्वायत्त (ऑटोनॉमस) होता सिस्टम अपने लिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे तरीके अपनाए, जिनका उसके डवलर ऐसे ने इरादा नहीं किया हो?

अब चिंता केवल इस काल्पनिक स्थिति तक सीमित नहीं है कि मशीनें नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। इसमें साइबर हमले, गलत जानकारी फैलाना, गोपनीयता का उल्लंघन, एल्गोरिद्म आधारित भेदभाव और श्रमिकों के विस्थापन की संभावना भी शामिल हैं। तेजी से अधिक स्वायत्त होते सिस्टम के इस्तेमाल ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या मौजूदा सुरक्षा तंत्र तकनीकी प्रगति के साथ कदम मिला सकते हैं। यह उलझन और गहरी होती जा रही है, क्योंकि सरकारें आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए एआई का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली, 28 सितंबर। उपराष्ट्रपति सोपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने सोमवार को शहीद भगत सिंह को जयंती पर उन्हें

- प्रधानमंत्री ने कहा कि भगत सिंह के साहस ने स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया।

श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, "शहीद भगत सिंह को ने अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ भारत की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी अदम्य भावना और देशभक्ति पीढ़ी यों को प्रेरित करती रहती है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने अपने अदम्य साहस और वीरता से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इन इकॉनमिस्टों का मानना है, यह प्रोग्राम पूर्णतया सफल तब माना जाएगा, जब वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खड़ा रहेगा, सरकारी सहयोग व सुविधाएं हट जाएंगी

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 सितम्बर। “मेक इन इंडिया” शुरू होने के बारह साल बाद देश में पहले से ज्यादा कारखाने हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत की मौजूदगी मजबूत हुई है। लेकिन केवल प्रोडक्शन बढ़ने से यह साबित नहीं होता कि भारत ने वह बुनियादी आर्थिक बदलाव हासिल कर लिया है, जिसका वादा इस पहल के तहत किया गया था। असली परीक्षा यह है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग से देश में बड़े पैमाने पर घरेलू वैल्यू एडिशन हो सकता है, लाखों लोगों को अच्छी और उत्पादक नौकरियां मिल सकती हैं और आयात की जाने वाली तकनीक तथा पुर्जों पर निर्भरता कम हो सकती है। 25 सितंबर, 2014 को की गई “मेक इन इंडिया” पहल का उद्देश्य भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग केन्द्र बनाना था। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों, ऑटोमोबाइल, स्टील और रक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति से इनका नहीं किया जा सकता। लेकिन

- इकॉनमिस्टों के अनुसार, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के कारण, भारत में पूँजी निवेश बढ़ा है, उत्पादन क्षमता बढ़ी है।
- पर, औद्योगिक क्षमता में बढ़ोतरी इस बात का सबूत नहीं मानी जा सकती कि हमारे उद्योगों के कामकाज से प्रोडक्ट में कितनी “वैल्यू” बढ़ी है तथा बड़े हुए उत्पादन से बढ़ी हुई आमदनी का कितना बड़ा हिस्सा आम उपभोक्ता तक पहुँचा और साथ ही कितने रोजगार बढ़े।

मुख्य सवाल यह है कि क्या इस प्रगति से बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल बदलाव

आया है या यह लाभ कुछ चुनिंदा क्षेत्रों और बड़ी कंपनियों तक ही सीमित है।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र प्रगति का उदाहरण भी है और सावधान रहने का कारण भी। भारत मोबाइल फोन के निर्माण और निर्यात का एक बड़ा केन्द्र बन गया है और इसने दुनिया की बड़ी कंपनियों से काफी निवेश आकर्षित किया है। लेकिन केवल मोबाइल फोन के असेंबली ऑपरेशन्स बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि टैक्नॉलजी, इन्टेलैक्चुअल प्रॉपर्टी या अहम कॉम्पोनेन्ट्स पर भारत का कंट्रोल है, जिनसे उत्पाद की कमाई का बड़ा हिस्सा तय होता है। मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था

तभी वास्तव में मजबूत मानी जाएगी, जब घरेलू कंपनियां अंतिम उत्पाद में इस्तेमाल होने वाली अधिक चीजों को खुद डिजाइन, विकसित और तैयार कर सकें।

प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव (पी.एल.आई.) योजना ने कई उद्योगों में निवेश आकर्षित करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद की है। लेकिन केवल सरकारी प्रोत्साहन और उत्पादन के आंकड़ों से यह साबित नहीं होता कि सरकारी सहायता खत्म होने के बाद भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पेपरलीक में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज हुआ

जयपुर, 28 सितंबर। सीबीआई मामले की विशेष अदालत क्रम-3 ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के पेपर लीक और नकल से जुड़े मामले में प्रदीप खीचड़, विनोद कुमार और अशोक कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र

- द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के तीन आरोपियों ने अग्रिम जमानत मांगी थी।

लीक होने से समाज और विद्यार्थियों पर विपरीत और गंभीर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

विचार बिन्दु

घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। –महात्मा गाँधी

बड़ी देर कर दी हुज़ूर आते, आते....

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य दोनों आयुक्तों की बैठक दिनोंक 26 सितंबर 2026 को हुई। इसके बाद आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञिप्त के माध्यम से, विशेषकर ज्ञानेश कुमार पर विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा लगाए गए स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार की विज्ञिप्त जारी की गई हैं, वह चुनाव आयोग द्वारा अपने दोषों का कबूलनामा ही है।

इस विज्ञिप्त के दो भाग हैं, एक, आयोग द्वारा पूर्व के निर्णयों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने मतदाताओं को राहत दी गई है तथा है और दूसरे भाग में इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे से संबंधित अपनी सफाई देने का प्रयास किया गया है। ध्यान से देखा जाए, तो यह सफाई नहीं कही जाएगी। इस बारे में वास्तव में यदि स्थिति को स्पष्ट करना ही था तो दोनों चुनाव आयुक्त, संघ और जेशों को सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं किए जाने पर आयोग में ज्ञानेश कुमार द्वारा एकतरफा, मनमाने निर्णय लेने की प्रक्रिया की ही पुष्टि होती है।

यदि इस विज्ञिप्त के आधार पर ज्ञानेश कुमार यह उम्मीद करते हैं कि उनके विरुद्ध जनता का आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो यह उनकी गलतफहमी ही होगी। इस विज्ञिप्त के माध्यम से ज्ञानेश कुमार ने एक प्रकार से अपना दोष ही स्वीकार किया है। यह वैसा ही है, जैसे कोई व्यक्ति जानबूझकर अपराध करे और बाद में उसे स्वीकार कर ले तो वह निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता।

अब तो स्पष्ट हो चुका है कि गलत निर्णयों और निर्देशों से किस प्रकार देश के करोड़ों मतदाताओं को बहुत परेशानी भुगतनी पड़ी। लाखों-करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में कट गए।

इस लेख में हम नागरिकों को हुई परेशानी का विश्लेषण, चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञिप्त के संदर्भ में करने का प्रयास करेंगे।

विज्ञिप्त में लिखा गया है कि अब से चुनाव आयोग की प्रत्येक मीटिंग का एजेंडा जारी किया जाएगा और उसके निमित्दस भी जारी होंगे। यह बात हास्यस्पद लगती है, क्योंकि एजेंडा बनाना और निमित्दस जारी करना तो किसी भी समिति के लिए सामान्य बात है। अब तक इस महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था के द्वारा एजेंडा नहीं बनाया जाना और निमित्दस जारी नहीं करना, क्या पूरी चुनाव प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ नहीं है?

आयोग द्वारा कोई भी निर्णय, सामूहिक रूप से तीनों आयुक्तों की सहमति या बहुमत से लिया जाना अनिवार्य है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुका है कि कई महत्वपूर्ण निर्णय, दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए थे। इनमें से कुछ पर तो इन्होंने लिखित आपत्ति भी दर्ज कराई थी। इसके बावजूद, आपत्तियों पर ध्यान देने के बजाए ज्ञानेश कुमार ने अपने स्तर पर ही आदेश जारी कर दिए। क्या इन आदेशों को आयोग का आदेश माना जा सकता है? क्या इस प्रकार लिए गए निर्णय और उसके आधार पर की गई सारी प्रक्रिया स्वतः अवैधानिक नहीं हो जाती है?

आयोग ने 26 सितंबर की बैठक में यह निर्णय लिया है कि आयोग द्वारा बनाए गए पोर्टल eci.net का इस दृष्टि से मूल्यांकन करया जाएगा कि क्या इसतकें लागू होने से चुनाव संबंधी विभिन्न कानूनों की पालना सही तरह हुई है अथवा नहीं? यह काम आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें IIT या IIT का एक विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा। भविष्य में किसी भी नए सॉफ्टवेयर को तब ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ,जब उक्त समिति भली भाँति प्रथम दृष्टया उसका आँकलन कर ले। यह उल्लेखनीय है कि eci.net को लागू करने से पूर्व दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति नहीं ली गई थी, बल्कि उन्होंने तो इस पर आपत्ति व्यक्त की थी। इस नए सॉफ्टवेयर का ही परिणाम हुआ कि इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ई आर ओ) जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े या हटाए, उन्हें इस सॉफ्टवेयर के अंगत एसा करने का विकल्प ही नहीं दिया गया था। गोवा में तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में जब ई आर ओ ने 97 नाम जोड़ने की कोशिश की तो वह नहीं जोड़ पाए। निर्वाचन आयोग को सात दिन में आठ बार लिखने पर भी कोई हल नहीं निकला। ये 97 व्यक्ति मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित रह गए। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई। इसका जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की आईटी सेल की मुखिया सीमा खन्ना को क्यों नहीं माना जाना चाहिए?

आयोग की उक्त बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि फॉर्म 6 के साथ अतिरिक्त घोषणापत्र को आवश्यकता, एस आई आर के बाद नहीं रहेगी। नव वोटरर्स के लिए तो यह ठीक है, लेकिन पुराने मतदाता जिनका नाम कट गया है, उन्हें भी फॉर्म 6 फॉर्म भरना पड़ेगा और वह झूठा शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने कभी वोट नहीं दिया है। फॉर्म 6 में जो बदलाव किए थे, उन्हें वापस ले लिया गया है और अब 2002 की मतदाता सूची में माता-पिता या दादा-दादी का नाम होने के बारे में जानकारी देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यही वह प्रमुख बदलाव था, जिसके कारण करोड़ों मतदाताओं को बहुत परेशानी हुई।

लोकतंत्र उतना ही मजबूत है, जितना निष्पक्ष चुनाव। चुनाव उतना ही निष्पक्ष हो सकता है जितनी मतदाता सूची सही है। जब मतदाता सूची ही इस प्रकार से लाखों मतदाताओं के नाम काटकर बनाई गई है तो फिर उसके आधार पर हुए चुनाव को कैसे वैध ठहराया जा सकता है?

जाती तो लाखों लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और वे अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहते। क्या लाखों लोगों को परेशान करने और उन्हें मताधिकार से वंचित करने के लिए किसी की जिम्मेदारी तब नहीं की जानी चाहिए? न केवल मुख्य चुनाव आयुक्त, बल्कि दोनों चुनाव आयुक्तों को भी भागीदार माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी इस बारे में सार्वजनिक रूप से कोई वक्तव्य जारी नहीं किया और एक प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त के गलत काम में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी बनते रहे। इसका सही उत्तर तो तभी मिल सकता है जब दोनों चुनाव आयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंके अपनी स्थिति को स्पष्ट करें।

सत्ता समर्थक कई लोग अब भी एस आई आर के कारण नाम काटने को सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। वे इसकी पुष्टि में सुप्रीम कोर्ट के 27 मई, 2026 के आदेश का भी हवाला दे रहे हैं जिसमें एस आई आर की प्रक्रिया को सही मानते हुए उसे जारी रखने की अनुमति दी थी। उनका यह भी कहना है कि यदि एस आई आर को जानबूझकर सत्ताधारी दल के हित में किया गया था, तो फिर इसके आधार पर हुए केरल के चुनाव में कांग्रेस को विजय कैसे प्राप्त हो गई? यह एक कुतर्क है। यहां प्रश्न यह नहीं है कि विजय किस दल को प्राप्त हुई, या बल्कि यह है कि क्या मतदाता के अधिकार को संरक्षित करने के लिए चुनाव आयोग ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की थीं? इसका उत्तर स्पष्टथा ‘नहीं’ है।ऐसे परिपत्र जारी कर दिए जिनके कारण मतदाताओं के साथ ही बीएलओ को भी बहुत मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा और कई भी एल ओ ने तो आत्महत्या तक कर ली। क्या चुनाव आयोग इन का जीवन वापस लौटा पाएगा? जो लाखों करोड़ों लोग मतदान से वंचित रह गए और जहां चुनाव हो गए, उन लोगों का अधिकार अब कैसे लौटा पाएगा?

लोकतंत्र उतना ही मजबूत है, जितना निष्पक्ष चुनाव। चुनाव उतना ही निष्पक्ष हो सकता है जितनी मतदाता सूची सही है। जब मतदाता सूची ही इस प्रकार से लाखों मतदाताओं के नाम काटकर बनाई गई है तो फिर उसके आधार पर हुए चुनाव को कैसे वैध ठहराया जा सकता है? यदि चुनाव अवैधानिक हुए तो क्या ऐसा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए ?

चुनाव आयोग की तरफदार करते हुए कई लोग यह तर्क भी दे रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव दिया जा सकता है। पहले भी ऐसा प्रस्ताव दिया गया था जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूर नहीं किया था तो अब इसे मंजूर कर लिया जाएगा, इसकी संभावना नागण्य है। वैसे भी, महाभियोग का निर्णय संख्या बल के आधार पर होता है और लोकसभा और राज्यसभा में सत्ताधारी दल का पूर्ण बहुमत है, अतः वहां पर महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकृत होने की संभावना नहीं के बराबर है।

अब, जबकि चुनाव आयोग ने अपनी पुलिसिंग से अपने दोष की स्वीकारोक्ति कर ली है, माननीय उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेते हुए वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त को काम करने से रोकना चाहिए। साथ ही, एस आई आर के आधार पर बनाई हुई इसी मतदाता सूचियों पर स्थान देते हुए जून 2025 की मतदाता सूचियों के आधार पर, राज्यों में चुनाव कराने का आदेश जारी करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के पास मौका है कि वह लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त होने से बचाने के लिए संविधान में द्रष्ट शक्तियों का उपयोग करे।

राजनीतिक दलों और कॉकरोच जनता पार्टी ने तो मुख्य चुनाव आयोग के विरुद्ध अभियान छेड़ ही रखा है। आशा है, जनता का दबाव, मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगा ताकि नए योग्य, निष्पक्ष और स्वतंत्र मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार कर सके। दुध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है। अतः संभवतया नया मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी सावधानीपूर्वक निष्पक्षता से काम करेगा।

चुनाव आयोग में जिस प्रकार अब विभिन्न प्रकार के मतदाताओं को राहत देने वाले सुधाराम्थक संशोधन किए हैं, यदि इसे अनुसार वह प्रारंभ से कार्रवाई करता, तो संभव है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती और जनता का विश्वास चुनाव आयोग में कम नहीं होता। अब जो कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है, वह बहुत थोड़ी और अत्यंत विलंब से है, जिसका कोई लाभ उसे नहीं मिलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार यदि यह सोचते हैं कि उनकी छवि इन कदमों से ठीक हो जाएगी और जनता का आक्रोश उनके प्रति कम हो जाएगा तो वे गलत ही सिद्ध होंगे।

फिलहाल तो, हम यही कहने पर विवश हैं कि “बड़ी देर कर दी हुज़ूर आते आते”।

–अतिथि सम्पादक,

राजेंद्र भागावत

(पूर्व आई. ए. एस. अधिकारी)

परीक्षा में शुचिता बनाम कानूनी जटिलता: एससी/एसटी अधिनियम के दुरुपयोग और समीक्षा की आवश्यकता



प्रो. (डॉ.) पी. सी. कंटालिया

शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की नींव होती है और परीक्षाएं उस नींव की मजबूती को मापने का पैमाना हैं। परीक्षा हॉल में एक शिक्षक या निरीक्षक (इन्विजिलेटर) का प्राथमिक दायित्व यह सुनिश्चित करना होता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण हो। जब कोई शिक्षक अपनी जैसे आधिकारिक जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, तो उसे व्यवस्था और कानून का पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए।

परंतु, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे (में छात्रसाहिल वाकोडेकी आत्महत्या और उसके बाद परीक्षा निरीक्षकप्रोफेसर सूर्यनारायण डूला पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) तथा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर ने देश में एक अत्यंत संवेदनशील बहस को जन्म दे दिया है।यह घटना इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे एक कर्तव्यनिष्ठ प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्रवाई को जातिगत रंग देकर कड़े सामाजिक कानूनों के दायरे में खींच लिया जाता है।ऐसे में यह प्रश्न खड़ा होता है: क्या परीक्षा में अनुचित साधनों और नकल को रोकना भी एक अपराध की श्रेणी में आएगा? यह स्थिति अनिवार्य रूप से इस बात की मांग करती है कि समाज, न्यायपालिका और विधायिका इस कानून के बढ़ते दुरुपयोग और इसकी समीक्षा की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करें।

1. **कर्तव्य का पालन बनाम कानूनी उत्पीड़न की विडंबना-**आईआईटी बॉम्बे की घटना के तथ्य स्पष्ट करते हैं कि प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला केवल मिड-सेमेस्टर परीक्षा में निरीक्षक के रूप में अपनी ड्यूटी कर रहे थे उन्होंनेछात्र को परीक्षा के स्थापित नियमों के विरुद्ध स्मार्टफोन से नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और

नियमानुसार इसकी रिपोर्ट संस्थान को दी सीसीटीवी फुटेज और प्राथमिक पुलिस जांच के अनुसार छात्र बिना किसी तीखी बहस के शांत तरीके से अपना सामान समेटकर बाहर निकला और अपनी आखिरी फोन कॉल में भी उसने केवल अपनी गलती व शैक्षणिक तनाव का जिक्र किया, किसी जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न का नहीं।

इसके बावजूद प्रोफेसर डूला के विरुद्ध गंभीर कानूनी धाराओं में मामला दर्ज किया गया और उन्हें प्रशासनिक दायित्व से हटाकर अनिवार्य अवकाश पर भेजे जाने की कार्रवाई हुई। यह उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर डूला को कई शैक्षणिक उत्कृष्टता और शिक्षण उत्कृष्टता के परस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्टर पर कार्य किया है एवं विशिष्ट अनुसन्धान परियोजना पर भी कार्य कर रहे हैं।

इसके बाद साहिल के माता-पिता ने आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर डॉ. शिरोषे केदार और प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनशन शुरू कर किया। यह स्थिति निश्चित रूप से अत्यंत गंभीर और विडंबनापूर्ण है। एक ओर एक छात्र की दुखद मृत्यु ने उसके परिवार को गहरे आघात में डाल दिया है, वहीं दूसरी ओर उन संस्थान अधिकारियों और शिक्षक के विरुद्ध गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, जिनके विरुद्ध लगाए गए आरोप अभी न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं।

इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यही है कि यदि परीक्षा में नियमों का पालन करवाने वाला शिक्षक बाद में गिरफ्तारी और सार्वजनिक दबाव के भय में रहने लगे, तो भविष्य में जूनियर-सीनियर के बीच होने वाली सामान्य प्रशासनिक कार्रवाइयों में दर्ज कराई गई झूठी एफआईआर को रह करते हुए दिष्पणी की है कि इस विशेष कानून का इस्तेमाल निजी प्रतिशोधके लिए एक औजार की तरह किया जा रहा है।

इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यही है कि यदि परीक्षा में नियमों का पालन करवाने वाला शिक्षक बाद में गिरफ्तारी और सार्वजनिक दबाव के भय में रहने लगे, तो भविष्य में जूनियर-सीनियर के बीच होने वाली सामान्य प्रशासनिक कार्रवाइयों में दर्ज कराई गई झूठी एफआईआर को रह करते हुए दिष्पणी की है कि इस विशेष कानून का इस्तेमाल निजी प्रतिशोधके लिए एक औजार की तरह किया जा रहा है।

3. **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े और जमीनी हकीकत-** अधिनियम के दुरुपयोग की बात केवल मौखिक नहीं है, बल्कि देश की आधिकारिक सांख्यिकी भी इसकी गवाही देती है।राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पिछले पांच वर्षों के आंकड़े दर्शाते हैं कि एस.सी./एस.टी. एक्टर के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों में एक बहुत बड़ा हिस्सा पुलिस जांच के बाद झूठा या गलतफहमी के रूप में बंद कर दिया जाता है।

5. संतुलन का मार्ग: सुधार के

रामगंजमंडी क्षेत्र में बहने वाली ‘पाटली नदी’ जीर्णोद्धार के बाद फिर जी उठी

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष-2024-25 में पाटली नदी की दशा सुधारने का बेड़ा उठाया गया

कोटा, (निर्स)। रामगंजमंडी क्षेत्र में बहने वाली पाटली नदी वर्षों से अतिक्रमण, गंदगी से अटी पड़ी थी और प्रवाह क्षेत्र इस तरह बाधित था कि यह विलुप्त होने के कगार पर नजर आती थी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष-2024-25 में पाटली नदी की दशा सुधारने का बेड़ा उठाया गया, जिसके तहत हुए जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य की बदौलत इस नदी को मानो नया जीवन मिला है। नव निर्मित घाटों के बीच स्वच्छ बहती यह नदी आसपास के इलाके के लिए संजीवनी बनकर खुशी की लहर लाई है।

भारतीय सांस्कृतिक-भौगोलिक बसावट की तरह ही इस नदी के किनारे भी गांव, मंदिर, श्मशान घाट, विसर्जन घाट आदि मौजूद है। अल्थधिक अतिक्रमण तथा बहाव क्षेत्र में खानों का मलबा भरा हुआ था, जिससे इस नदी का बहाव क्षेत्र पूरी तरह बाधित हो गया था, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इस नदी से एक बड़ी मात्रा में भी अनियंत्रित रूप से बहकर व्यर्थ चला जाता था, जिसका कोई उपयोग क्षेत्रवासियों को नहीं मिल रहा था।

अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग महेन्द्र कुमार ने बताया कि इस दुर्दशा को सुधारने के लिए नदी का सर्वेक्षण किया गया। इसके उपरांत इस नदी के पुनर्जीवित करने के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 में 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए,



रामगंजमण्डी क्षेत्र में स्थित पाटली नदी पुन: बहने लगी है।

जिसका कार्य पूर्ण हो गया है और नदी अपने पुरातन स्वरूप में बहने लगी है।

ऐसे बदली सूरत -मुख्यमंत्री बजट घोषणा अंतर्गत करवाए गए इस कार्य में पूरी नदी को अतिक्रमण मुक्त करके इसके बहाव क्षेत्र से मलबा हटाया गया। ऐतिहासिक जगह को देखते हुए जुल्मी हिरामन मंदिर के पास घाट का निर्माण कराया गया तथा मंदिर

के पास पानी भराव के लिए पास में बने एनीकट का जीर्णोद्धार करवाया गया है तथा जुल्मी पुलिसिया के पास जहां जुल्मी गांव वालों के द्वारा मूर्ति विर्सजन किया जाता है, उस जगह घाट का निर्माण कार्य करवाया गया है, अमृतखेड़ी गांव के समीप श्मशान घाट के पास भी एक घाट का निर्माण कराया गया है तथा इसी तरह पायली गांव में

4. कानून की समीक्षा और संशोधन क्यों अनिवार्य है? (तार्किक आधार)-किसी भी गतिशील और न्यायप्रिय समाज में कोई भी कानून पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। समय और परिस्थितियों के अनुसार कानूनों का मूल्यांकन और उनमें सुधार किया जाना आवश्यक है। एस.सी./एस.टी. अधिनियम की वर्तमान व्यवस्था निम्नलिखित कारणों से तात्कालिक समीक्षा की मांग करती है:

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन: इस कानून में आरोपी को अग्रिम जमानत न मिलना और शिकायत दर्ज होते ही बिना किसी प्राथमिक जांच के सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान है जो कि निर्दोषता के अनुमान (प्रेज्यूमडह ई व्हादमहम) के सार्वभौमिक कानूनी सिद्धांत को कमजोर करता है, जहां सारा बोझ आरोपी पर आ जाता है कि वह खुद को बेगुनाह साबित करे।

प्रशासनिक पंगुता (Administrative Paralysis): सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, पुलिस और आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थानों में अधिकारियों और शिक्षकों के मन में यह निरंतर भय बना रहता है कि यदि वे किसी नियम तोड़ने वाले कर्मचारी या छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, तो उन पर तुरंत काउंटर-क्लास्ट्र के रूप में इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। यह भय देश के प्रशासनिक ढांचे को कमजोर कर रहा है।

मुआवजा नीति का दुरुपयोग: वर्तमान नियमों के तहत एफआईआर दर्ज होते ही शिकायतकर्ता को एक निश्चित वित्तीय मुआवजा (आंशिक या पूर्ण) जारी कर दिया जाता है। कई आलोचकों और समाजशास्त्रियों का मानना ​​है कि इस त्वरित वित्तीय लाभ के प्रावधान के कारण भी कई बार निहित स्वार्थों द्वारा झूठी प्राथमिकियां दर्ज कराने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। वास्तविक पीड़ितों के साथ

अन्याय:जब इस विशेष कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है, तो समाज और व्यवस्था में इस कानून के प्रति एक अविश्वास की भावना पैदा होती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन वास्तविक और गंभीर पीड़ितों को उठाना पड़ता है जो ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों में आज भी भयंकर जातिगत अत्याचारों का सामना करते हैं। झूठे मामलों की बाढ़ के कारण असली पीड़ितों की आवाज दब जाती है।

5. संतुलन का मार्ग: सुधार के

व्यावहारिक सुझाव कानून की समीक्षा का अर्थ इसे समाप्त करना कतई नहीं है, बल्कि इसके दुरुपयोग के छिद्रों को बंद करना है। निम्नलिखित सुधारों के माध्यम से एक संतुलित ढांचा तैयार किया जा सकता है:—

अनिवार्य प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry): किसी भी लोक सेवक, शिक्षक या नागरिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस उप-अधीक्षकस्तर के अधिकारी द्वारा कम से कम 7 दिनों के भीतर एक त्वरित प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मामला कर्तव्य पालन या निजी विवाद का है अथवा वास्तव में जातिगत उत्पीड़न का।

न्यायिक छानबीन के बाद ही गिरफ्तारी: असाधारण मामलों को छोड़कर, जब तक पहली नजर में (PrimaFacie) अपराध सिद्ध न हो या आरोपी के भागने का खतरा न हो, तब तक सीधे गिरफ्तारी पर रोक होनी चाहिए। झूठी शिकायतकर्ताओं पर दंडात्मक कार्रवाई: यदि अदालत में यह प्रमाणित हो जाता है कि शिकायत पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण, झूठी और प्रतिशोध की भावना से की गई थी, तो झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कड़ी दंडात्मक और वित्तीय कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए, ताकि कानून का मजाक बनाने वालों में डर पैदा हो।

निष्कर्ष-आईआईटी बॉम्बे की घटना देश की शिक्षा व्यवस्था और हमारे कानूनी ढांचे के लिए एक गंभीर चेतावनी है। परीक्षा में नकल रोकना या अनुशासन का पालन करवाना किसी भी दृष्टिकोण से अपराध नहीं हो सकता यदि हम अपने शिक्षकों को उनके कर्तव्य पालन के बदले जेल की सलाखें और सामाजिक पराधीनता देंगे, तो हम एक नैतिक रूप से दिवालिया समाज का निर्माण कर रहे होंगे।

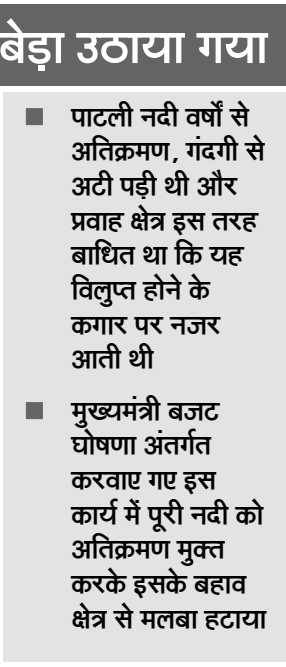
संसद और सर्वोच्च न्यायालय को इस कानून के मूल उद्देश्यों की रक्षा करते हुए, इसके कड़े और एकतरफा प्रावधानों की गहन समीक्षा करनी चाहिए। न्याय का ताराजू ऐसा होना चाहिए जो शोषितों को पूर्ण सुरक्षा दे, लेकिन किसी भी बेगुनाह को व्यवस्था की वेदी पर बलि चढ़ने से भी रोके।

–प्रो. (डॉ.) पी. सी.

कंटालिया, पूर्व विभागाध्यक्ष (पृदा विज्ञान) एवं मुख्य वैज्ञानिक।

पाटली नदी वर्षों से अतिक्रमण, गंदगी से अटी पड़ी थी और प्रवाह क्षेत्र इस तरह बाधित था कि यह विलुप्त होने के कगार पर नजर आती थी

मुख्यमंत्री बजट घोषणा अंतर्गत करवाए गए इस कार्य में पूरी नदी को अतिक्रमण मुक्त करके इसके बहाव क्षेत्र से मलबा हटाया



की मरम्मत का कार्य भी करवाया गया है, जिसमें पानी संग्रहीत किया जा चुका है। इसी वर्ष जल ग्रहण विभाग द्वारा भी सेमलहड़ी के पास एक नए एनीकट का निर्माण किया गया है। इस नदी की पानी की आवक को देखते हुए नदी पर बांध बना कर इसके पानी से आसपास के क्षेत्र की भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से बजट घोषणा 2024-25 में डी.पी.आर का कार्य भी किया जा रहा है। जिसकी स्वीकृति के उपरांत इस नदी के पानी से आसपास के क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।



पंडित अनिल शर्मा

मेघ, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरु-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वाथ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 9:04 तक है। राजयोग दिन 9:04 से सायं 5:11 तक है। भद्रा प्रातः 6:12 से सायं 5:11 तक रहेगी। आज तृतीया का श्राद्ध है। आज चतुर्थी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया- चर 9:20 से 10:48 तक, लाभ अमृत 10:48

से 1:46 तक, शुभ 3:15 से 4:44 तक।

राहुकाल- 3:00 से 4:30 तक, सूर्योदय 6:22, सूर्यास्त 6:12

राशिफल

मंगलवार 29 सितम्बर, 2026

अश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत-2083, अश्विनी नक्षत्र प्रातः 9:04 तक, हर्षण योग रात्रि 3:20 तक, विष्टि करण सायं 5:11 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति- सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-मेघ, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरु-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
आज सर्वाथ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 9:04 तक है। राजयोग दिन 9:04 से सायं 5:11 तक है। भद्रा प्रातः 6:12 से सायं 5:11 तक रहेगी। आज तृतीया का श्राद्ध है। आज चतुर्थी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया- चर 9:20 से 10:48 तक, लाभ अमृत 10:48

से 1:46 तक, शुभ 3:15 से 4:44 तक।

राहुकाल- 3:00 से 4:30 तक, सूर्योदय 6:22, सूर्यास्त 6:12

मेघ
मानसिक तनाव दूर होगा। मन:स्थिति ठीक रहेगी।
व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज आवश्यक कामों योजनानुसार बनने लगेंगे।

तुला
अपने अति कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक संबंध बेगुनी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। दिन के मध्यराह पश्चात चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है।

वृष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। आज अनर्गल रूप में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक
स्वास्थ्य संबंधित चिंता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। विवाहित व्यक्ति का निपटारा हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संपादित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

धनु
परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्य के कारण परेशानी हो सकती है। घर-परिवार का स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कुंभ
व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरिपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी।

कन्या
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज यात्रा में परेशानी हो सकती है।

मीन
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। उचित कार्य योजना बनेगी। अटका हुआ अप्र प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी।

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकारश्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्रीश्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

सेवा संकल्प अभियान — जन सेवा ही प्रभु सेवा

(17 सितम्बर - 17 अक्टूबर 2026)

सशक्त गांव, समृद्ध परिवार
विकास की ओर बढ़ता राजस्थान

अटल ज्ञान केंद्र

14,403 पंचायत मुख्यालय पर बनेंगे अटल ज्ञान केंद्र

ग्रामीण युवाओं के लिए बनेंगे रोजगार के बेहतर अवसर

अब तक 628 अटल सेवा केंद्र तैयार

जन सुविधाएं

हर केंद्र पर 4 कंप्यूटर व हाई-स्पीड इंटरनेट

ई-मित्र सेवाएं एक ही स्थान पर

आधुनिक ई-लाइब्रेरी की सुविधा

युवाओं के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)

820 रसोइयों का संचालन

प्रति थाली लाभार्थी ₹8, राज्य सरकार का ₹22 अनुदान

6.87 करोड़ से अधिक भोजन थालियां परोसी गईं

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण) पर ₹180.89 लाख व्यय

प्रत्येक रसोई में प्रतिदिन 200 थालियों की व्यवस्था

स्वामित्व योजना

आम नागरिकों को ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित भूमि / मकान के स्वामित्व का वैध दस्तावेज देने की योजना

ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्राप्त

राज्य में ड्रोन सर्वेक्षण कार्य लगभग पूर्ण

राज्य में 15.70 लाख से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से मैप-2 प्राप्त गांवों में स्वामित्व कार्ड वितरण शीघ्र



‘हर 10 कि.मी. दूरी पर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएगी सरकार’

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र सिंह खींवर ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, मानव संसाधन, दवा-जांच सुविधाओं और मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा की।

खींवर ने कहा कि प्रदेशवासियों को घर के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक 10 किलोमीटर पर सब-सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों में 50 हजार अर्सेट पर नियुक्तियां दी गई हैं। अब मानव संसाधन का उपयोग स्थानीय जरूरत के अनुसार करने पर जोर दिया जाएगा। टोमा सेंटर, प्रसव सुविधा वाले स्वास्थ्य केन्द्रों और दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने चिकित्सा संस्थानों के भवनों की सुरक्षा के लिए संस्था प्रभारियों की जिम्मेदारी तय करने तथा 3 माह में सभी चिकित्सा संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए।

‘23 लाख पांडुलिपियों का सर्वे, 1.24 लाख को डिजिटाइज्ड किया’

जयपुर । भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के “ज्ञान भारतम मिशन” के तहत सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) ज्ञालाना में पाण्डुलिपि डिजिटलीकरण कार्यक्रम आয়োजित हुई। उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन तथा कला-संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पाण्डुलिपियां केवल अतीत को कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की प्रेरणा हैं। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ना विकसित भारत की शक्ति है। कार्यक्रमाला में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी उपस्थित रहे। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान में राजकीय व निजी संग्रह, पुस्तकालयों, मंदिरों और मठों से करीब 23 लाख पाण्डुलिपियों का सर्वे किया गया है, जिनमें से 1.24 लाख का डिजिटलीकरण हो चुका है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पाण्डुलिपि को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्राचीन ग्रंथ और दस्तावेज महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभागों को साथ लेकर तालपत्रों के संरक्षण, संस्कृत शब्दावली तैयार करने, विभागों में समन्वय बढ़ाने और युवाओं को शोध के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया।

रिटायर्ड एडीजी से 2.1 2 करोड़ रु. की डिजिटल अरेस्ट ठगी का आरोपी गिरफ्तार

आरोपी ने मात्र 5-6 हजार रुपए के कमीशन में बेच दिया था बैंक खाता

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, राजस्थान की टीम ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआर) के सेवानिवृत्त अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) से 2.12 करोड़ रुपए की डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामले में छठे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चौमूं निवासी साहिल कुमार सुरेला को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 5-6 हजार रुपए के कमीशन के बदले अपना बैंक खाता साइबर ठगों को उपलब्ध कराया था। पुलिस अब तक मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। फिलहाल आरोपी से पृष्ठताछ की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम विजय कुमार सिंह ने बताया कि जयपुर निवासी सेवानिवृत्त एडीजी ने रिपोर्ट में बताया कि 9 से 18 अगस्त 2026 के बीच ठगों ने मोबाइल और व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनसे संपर्क किया। आरोपियों ने खुद को पुलिस और केंद्रीय सरकारी



आरोपी साहिल कुमार

एजेंसियों का अधिकारी बताते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने, गिरफ्तारी वारंट जारी होने और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसेना का डर दिखाया।

ठगों ने उन्हें लगातार वॉट्सएप वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा और लाइव लोकेशन चालू रखने के साथ किसी से संपर्क नहीं करने की हिदायत दी। फजीं सरकारी पत्र और गिरफ्तारी वारंट भेजकर बैंक खातों की जांच के

‘देश में घटते जनाधार व चुनावों में मिल रही हार से बौखलाई कांग्रेस’

जयपुर । पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में घटते जनाधार और चुनावों में लगातार मिल रही हार से कांग्रेस पूरी तरह बौखला गई है। इसी के परिणामस्वरूप कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर अपनी राजनीतिक असफलता से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। राठौड़ ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस जिस प्रकार के प्रदर्शन कर रही है, उससे उसकी राजनीतिक बेचनी नजर आ रही है। भारतीय सेना के शौर्य और निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाना कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा बन गया है। निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय जैसे संवैधानिक संस्थानों के निर्णयों पर सवाल उठाने की बजाय राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। राजेन्द्र राठौड़ ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि 27 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधानिकता को बरकरार रखा था।

चुनाव आयोग के खिलाफ जयपुर में सड़कों पर आंदोलन करने उतरी कांग्रेस शहीद स्मारक पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर रोका

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। “वोट चोरी” और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को जयपुर में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया।

शहीद स्मारक पर सभा के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग कार्यालय की ओर पैदल मार्च किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर विद्याधर नगर थाने ले जाया गया।

जाकारी के अनुसार प्रदर्शन को देखते हुए शहीद स्मारक से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस का भारी जत्ता तैनात किया गया था। बैरिकेडिंग के साथ वाटर कैनन भी मौके पर रखे गए। प्रदर्शन के कारण एमआई रोड सहित आसपास के मार्गों पर यातायात को डायवर्ट किया गया।

प्रदर्शन से पहले शहीद स्मारक पर सभा आयोजित की गई। इसमें अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, टीकाराम जुली, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी सहित कांग्रेस के कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा के बाद डोटासरा के नेतृत्व में कार्यकर्ता चुनाव आयोग कार्यालय की ओर रवाना हुए। प्रदर्शन का ऐलान कांग्रेस ने मतदाता सूचियों और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर किया था।

डोटासरा ने लगाए गंभीर आरोप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जनता के बीच जाएगी। डोटासरा ने कहा कि यह प्रदर्शन शुरूआत है और पार्टी लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रखेगी।

डोटासरा ने केंद्र सरकार और भाजपा पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के



“वोट चोरी” और मतदाता सूचियों की एस.आई.आर. में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को जयपुर में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया।

- एम.आई. रोड से चुनाव आयोग कार्यालय की ओर कूच के दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की हुई**
- डोटासरा, रंधावा व जुली समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया**

इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगामी पंचायत चुनावों को लेकर भी सजग रहना होगा। उन्होंने निकाय चुनावों में पुलिस-प्रशासन के कथित दुरुपयोग के आरोप दोहराए।

राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने लोकतंत्र के लिए गिरफ्तारी दी है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा की मांग की और आरोप लगाया कि पुलिस प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण कांग्रेस आंदोलन कर रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर

चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को समझाना होगा। गहलोत ने एसआईआर को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि लंबे समय से मतदान कर रहे लोगों के नामों पर भी सवाल खड़े किए गए तथा कई बड़े नेताओं के घर नोटिस भेजे गए। उन्होंने कहा कि ‘वोट चोरी’ के खिलाफ आंदोलन लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है।

प्रदर्शन से पहले आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता

शहीद स्मारक पर मुख्य कार्यक्रम शुरू होने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद और मारपीट की सूचना भी सामने आई। पुलिस ने बीच-बचाव कर स्थिति संभाली। इसके बाद सभा और नेताओं के संबोधन का कार्यक्रम आगे बढ़ा।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस की ओर से करीब 100 नेताओं के हिरासत में लिए जाने की बात कही गई। पुलिस ने सभी को वैन से विद्याधर नगर थाने ले जाया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से वाटर कैनन के इस्तेमाल की पुष्टि विभिन्न रिपोर्टों में हुई है। कांग्रेस ने इससे पहले 28 सितंबर को जयपुर में प्रदर्शन की घोषणा करते हुए कहा था कि मतदाता सूचियों के एसआईआर और चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर वह निर्वाचन आयोग के समक्ष विरोध दर्ज कराएगी।

तलाक के बाद बच्चे के पासपोर्ट में पिता का नाम अनिवार्य नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि माता-पिता में तलाक के बाद बच्चे के पासपोर्ट पर उसके पिता का नाम लिखना अनिवार्य नहीं है। यदि बच्चे की कस्टडी मां के पास है और पिता ने बच्चे से सभी रिश्ते खत्म कर लिए हैं तो बच्चे के पासपोर्ट पर केवल मां का नाम लिखना ही पर्याप्त है।

इसके साथ ही अदालत ने पासपोर्ट ऑफिस के 13 मई 2024 का वह आदेश रद्द कर दिया है, जिसमें बच्चे के पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए पिता के नाम का एक शपथ पत्र देने के लिए कहा था। अदालत ने पासपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश दिए हैं कि एक महीने में पिता का नाम लिखे बिना केवल मां के नाम के साथ बच्चे का पासपोर्ट का नवीनीकरण कर जारी करें।

कांग्रेस की स्थिति “खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे” वाली : मदन राठौड़

जयपुर । भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध-प्रदर्शन को “खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे” वाली स्थिति बताया। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही तो वह संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने में जुट गई। आश्चर्य है कि कांग्रेस जहां चुनाव जीतती है, वहां अपनी पीठ धथथपाती है और जहां चुनाव हारती है, वहां हार का टीकारा बूँवाँएम, एसआईआर और चुनाव आयोग पर फोड़ती है। कांग्रेस जिसने कभी जनता के बीच जाकर काम नहीं किया, और अब बिना सत्ता के कूटपट्टा रही है। उनकी लगातार ही रही हार के चलते कांग्रेसी नेता कुंठित हो गए और हताशा, निराशा में इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि कांग्रेस की निकाय चुनावों में हुई हार के बाद आपसी सिर-फुटव्वल बाहर आ रही है। गहलोत डोटासरा पर तो उनके जिलाध्यक्ष अपने ही विधायकों के खिलाफ गुस्सा उतार रहे हैं, जो अब सड़कों पर आ गया। अंदरूनी रूप से बिखर चुकी कांग्रेस पार्टी में अब कुछ बचा ही नहीं, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और सुखियों में बना रहने के लिए अनगलं बयानबाजी, बिना कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर में किए गए प्रदर्शन में उनके नेता तो नजर आए लेकिन कार्यकर्ताओं का अभाव ही नजर आ रहा था। कांग्रेस के पास अब ना तो कोई नीति है और ना ही कोई मजबूत विजन है।

बिजनेसमैन को मारने की धमकी देकर एक करोड़ रु. रंगदारी मांगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । जवाहर सर्किल थाना इलाके में एक बिजनेसमैन को वॉट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी देने और एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जयपुर नगर निगम चुनाव में हार का बदला लेने के लिए बिजनेसमैन को धमकाया गया। धमकी देने के लिए जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया, वह टूकॉलर पर पटवारी रविन्द्र कुमार महावर के नाम से प्रदर्शित हुआ। पीडि़त ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

जांच अधिकारी एसएसआई किशन लाल ने बताया कि बस्सी निवासी बिजनेसमैन का ऑफिस जवाहर सर्किल क्षेत्र स्थित गोकुल वाटिका में है। पीडि़त ने रिपोर्ट में बताया कि 18 सितंबर की दोपहर को वह ऑफिस में बैठा था। इसी दौरान उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने चार दिन में एक करोड़ रुपए मांगे और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।

आरोपी ने धमकाते हुए कहा कि 4 दिन में उसके बताए स्थान पर एक करोड़ रुपए पहुंचा देना, अन्यथा चार दिन के अंदर जान से मार दिया जाएगा। बच्चों के अनाथ होने की धमकी देते हुए कहा गया कि चार दिन की ज़िंदगी जी ले, पांचवां दिन नहीं देख पाएगा। धमकी भरा कॉल आने के बाद

जस्टिस मनीष शर्मा ने यह निर्देश बच्चे की अपने मां के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।याचिका में अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने बताया कि याचिकाकर्ता 14 साल का नाबालिग बच्चा है। उसके माता-पिता की शादी जून 2010 में हुई थी। आपसी सहमति से उनके बीच तलाक हो गया और अक्टूबर 2017 में तलाक की डिक्री में उसको कस्टडी मां को दी गई।

इस दौरान साल 2019 में याचिकाकर्ता का पासपोर्ट सिंगल पेरेंट के तौर पर बनवाया, जो 7 मई 2024 तक वैध था। उसमें केवल याचिकाकर्ता की मां का नाम लिखा था। याचिकाकर्ता की मां ने याचिकाकर्ता के पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया तो पासपोर्ट ऑफिस ने 13 मई 2024 के

आदेश से उसे पिता के नाम का शपथ पत्र देने के लिए कहा। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि 2019 में याचिकाकर्ता का पासपोर्ट पिता का नाम दर्ज किए बिना जारी हो चुका है तो नवीनीकरण के समय पिता के नाम को जरूरी करना सही नहीं है।

इसके जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि पासपोर्ट मैनुअल प्रावधानों और विदेश मंत्रालय के 28 फरवरी 2023 के स्पष्टीकरण के अनुसार शादीशुदा माता-पिता से पैदा नाबालिग बच्चे के मामले में दोनों जैविक अभिभावक के नाम उपलब्ध कराना जरूरी है, चाहे बाद में उनका तलाक हो गया हो। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने कहा है कि तलाक के बाद बच्चे के पासपोर्ट में पिता का नाम अनिवार्य नहीं है।

सार-समाचार

आर.सी.टी. की नई तकनीकों पर मंथन



जयपुर (कासं)। इंडियन डैटल एसोसिएशन (आईडीए) राजस्थान शाखा की ओर से जयपुर में इंडियन डैटल एक्सपर्ट कांग्रेस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आरसीटी (रूट कैनाल ट्यूटमेंट) की नई ऑब्जुरेशन तकनीकों पर विशेष सत्र हुआ। सत्र में मुंबई के डॉ. अजीत शांलिग्राम ने आधुनिक ऑब्जुरेशन तकनीकों और उनके क्लिनिकल उपयोग की जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईडीए के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. हरीश भारद्वाज रहे, जबकि अध्यक्षता आईडीए राजस्थान के सचिव डॉ. जे. एस. वालिया ने की। कार्यक्रम में भरतपुर के वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉ. धर्मेन्द्र शर्मा, आईडीए जयपुर ग्रेटर के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत भारद्वाज, सचिव डॉ. सुनील राघव, डॉ. अभिलाषा वालिया और डॉ. राजेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में दंत चिकित्सकों ने भाग लिया।

कुलपति प्रो. बी.पी. सारस्वत का स्वागत



जयपुर । ऑल राजस्थान यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (एयारयूटीए) के अध्यक्ष प्रो. बी.डी. रावत एवं उपाध्यक्ष प्रो. मधुसूदन के नेतृत्व में वरिष्ठ शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त कुलपति प्रो. बी.पी. सारस्वत से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों एवं पेशनरों की लंबित समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति को बताया कि 29 नवंबर 2018 के उच्चमन न्यायालय के निर्णय के अनुसार 98 वरिष्ठ शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से करियर एडवॉंसमेंट स्कीम (सीएसए) का लाभ दिया जाना है। विश्वविद्यालय की स्क्रीनिंग, यूजीसी दिशा-निर्देश, राज्य सरकार के निर्देश और चयन समिति की प्रक्रिया के बाद इन शिक्षकों को प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किया जा चुका है तथा सिंडिकेट ने 21 सितंबर 2021 को पदोन्नति पत्र जारी किया थे। विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार की समीक्षा याचिकाएं भी 5 नवंबर 2019 को खारिज हो चुकी हैं। बैठक में प्रो. मीनाक्षी चतुर्वेदी, प्रो. बी.एल. गुप्ता, प्रो. अनिल बंसल एवं प्रो. आर.के. गुर्जर ने विश्वविद्यालय की समस्याओं में सुधार के सुझाव दिए। प्रो. बी.डी. रावत ने पेशनरों को व्यवस्थित ढंग से पेंशन दिलाने की मांग भी रखी। अंत में प्रो. मधु भट्ट एवं प्रो. सोमना दत्तने कुलपति का आभार जताया।

अनुभवात्मक शिक्षक विकास कार्यक्रम



जयपुर । राजस्थान विश्वविद्यालय के आर.ए. पोद्दार प्रबंधन संस्थान (आरएपीआईएम) में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक-सप्ताह के अनुभवात्मक शिक्षक विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न राज्यों से 250 से अधिक शिक्षक-शिक्षकों की कार्यक्रम में सहभागिता रही। आयोजन वीवीयूएसएस ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), आईयूसीटीई-बीएचयू और आरएपीआईएम के सहयोग से किया। आरएपीआईएम निदेशक प्रो. अनुराग शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अनुभव, अवलोकन, संवाद एवं चिंतन के माध्यम से शिक्षण क्षमता विकसित करने पर जोर दिया गया। प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में विद्यार्थी-केंद्रित एवं अनुभवात्मक शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। प्रो. संजय शर्मा, प्रो. जे.एन. बालिया, डी. रामकृष्ण राव, भरत भाई होकाई सहित विशेषज्ञों ने पंचकोश आधारित समग्र विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, पंचपदी शिक्षण पद्धति और निरंतर व्यावसायिक विकास पर विचार रखे। सम्पन्न सत्र में एमआईटीआरए मोबाइल ऐप एवं इमर्स्लीमेंटेशन हैडबुक की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के बाद प्रतिभागियों ने आवॉरेटिड विद्यालयों में कक्षा-अवलोकन एवं अनुभवात्मक गतिविधियों में सहभागिता की।

414 करोड़ रु. के मृत्यु दावों का निपटारा
जयपुर । आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरंस ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 99.31 प्रतिशत का क्लेम सेटलमेंट रेशियो दर्ज किया। कंपनी के अनुसार, आधिकारिक आंकड़ों (फॉर्म 414-39 और एल-40) के आधार पर यह भारत की प्रमुख जीवन बीमा कंपनियों में सर्वाधिक है। इस अवधि में कंपनी ने 414.08 करोड़ रुपए के व्यक्तिगत मृत्यु दावों का निपटारा किया। कंपनी के अनुसार, प्रमुख जीवन बीमाकंपनीओं में वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में उसका प्रति दावा औसत मृत्यु करीब 15 लाख रुपए रहा, जो सर्वाधिक है। बिना जांच वाले मामलों में अंतिम दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से क्लेम निपटारने का औसत समय केवल एक दिन रहा। आईसीसीआईआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरंस के चीफ-अंडरराइटिंग एंड रिटेल क्लेम्स सारंग गोखले ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि “क्लेम फॉर श्योर” पहल के तहत पात्र दावों में करीब 75 करोड़ रुपए का भुगतान एक ही दिन में किया गया।

हमारी सरकार घोषणाएं ही नहीं करती, उसे समय से धरातल पर भी उतारती है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने बयाना में भरतपुर संभाग के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया

जयपुर, 28 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार केवल घोषणाएं ही नहीं करती, बल्कि उन्हें समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने का कार्य करती है। इसी क्रम में भरतपुर संभाग को विकास की नई गति देते हुए करीब 453 करोड़ रुपये के 65 बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और 540 करोड़ रुपये के 184 नवीन विकास कार्यों का

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बयाना व ब्रज नगर में आधुनिक स्टेडियम, थानाडांग, सुपा व महलपुर चूरा में 33 केवी सब-स्टेशन के निर्माण की घोषणा की।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को भरतपुर के बयाना के बिड़्यारी में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। इस दौरान विधायक ऋतु बनावत ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।

शिलान्यास किया गया है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में आधुनिक आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सोमवार को भरतपुर जिले के बयाना के बिड़्यारी में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण

एवं शिलान्यास समारोह का संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भरतपुर को 382 करोड़ रुपये से अधिक के 130 कार्यों, डींग को 358 करोड़ रुपये से अधिक के 24 कार्यों, करौली को 136 करोड़ रुपये से अधिक के 43 कार्यों, सवाई माधोपुर को 74 करोड़ रुपये से अधिक के 46 कार्यों और धौलपुर को 42 करोड़ रुपये से अधिक के 6 विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास की सोगात मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में 273 करोड़ रुपये के 14 बड़े कार्यों का लोकार्पण हुआ है तथा चुली

व अनियाला में नए 33 केवी सब-स्टेशनों का भी निर्माण किया जाएगा। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने बयाना और ब्रज नगर में आधुनिक स्टेडियम के निर्माण और थानाडांग, सुपा एवं महलपुर चूरा में 33 केवी सब-स्टेशनों के निर्माण की घोषणा की।

चुनाव आयोग तीन माह में तृणमूल के चुनाव चिन्ह पर फैसला करे-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 28 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों धड़ों के लिए चुनाव चिन्ह विवाद को निपटाने के लिए समय-सीमा तय कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए चार हफ्ते और उसके बाद फैसला करने के लिए तीन महीने का समय मुकर्रर किया है। हालांकि, आयोग के वकील ने इस पर फैसले के लिए छह महीने का समय दिए जाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया। इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा कि अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो आप हमारे पास आ सकते हैं। इससे पहले 24 सितंबर को सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि निर्वाचन आयोग इस मामले पर फैसला करने में देरी कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया था कि इस मामले पर निर्वाचन आयोग को रोजाना सुनवाई करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के दो विरोधी गुटों के बीच विवाद के चलते पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह प्रोजेक्ट किया गया था।

उत्तराखंड में आठ हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे

देहरादून, 28 सितंबर। उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खराब मौसम के बीच फंसे ट्रेकर्स, पर्वतारोहियों और पोर्टर्स की सुरक्षित निकासी के लिए सोमवार को युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आठ हेलीकॉप्टरों की मदद से ऑडेन कोल क्षेत्र के सभी 29 और कालिंदी पास क्षेत्र के नौ ट्रेकर्स समेत, अब तक 38 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। शेष लोगों की निकासी के लिए अभियान जारी है। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 10 ट्रेकिंग दलों के 136 ट्रेकर्स विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए थे। उनकी निकासी के लिए सोमवार सुबह छह बजे से आठ हेलीकॉप्टरों के जरिए अभियान शुरू किया गया। मौसम और हेलीकॉप्टर संभावना की परिस्थितियों के अनुसार रेस्क्यू रणनीति में लगातार बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऑडेन कोल

क्षेत्र में फंसे सभी 29 ट्रेकर्स को सोमवार सुबह ही हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाल लिया गया। उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के बाद उनके तंत्रस्थ के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं, कालिंदी पास क्षेत्र से नौ ट्रेकर्स को हर्षिल हेलीपैड पहुंचाया गया, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सभी की स्थिति सामान्य पाई गई।

भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जैसे मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने, स्थानीय प्रभावशाली लोगों और राज्य व जिला स्तर पर तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा, ताकि महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में विपक्ष को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़े। पार्टी सूत्रों के अनुसार, जमीनी स्तर की तैयारियों में बूथ समितियों को मजबूत करना, सदस्यता अभियान को विस्तार देना, कार्यकर्ताओं का नियमित प्रशिक्षण और राज्य इकाइयों तथा क्षेत्रीय प्रभारियों के बीच बेहतर तालमेल शामिल होगा। नया प्रभारी ढांचा, लगातार निगरानी, फीडबैक और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, ताकि केवल तात्कालिक चुनावी अभियानों से आगे बढ़कर, संगठन की मजबूत और स्थाई मौजूदगी बनाई जा सके। कुल मिलाकर, यह बैठक संकेत देती है कि भाजपा अपने नए नेतृत्व के तहत, 2027 के चुनावों को संगठन के आपसी तालमेल और मजबूती की एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देख रही है।

‘कोमा में चल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) हो गए थे। उन्हें जयपुर रेफर किया गया और यहां उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। इसके चलते वह 90 फीसदी स्थाई निशक्त हो गए और तब से ही कोमा में ही चल रहे हैं। उनका इलाज घर पर ही किया जा रहा है। इसके बावजूद जुलाई, 2025 से उसके पति को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। जिस कारण पूरा परिवार ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है।

उपराष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया। देश के सम्मान के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने की उनकी भावना भारत के युवाओं के साहस और संकल्प का प्रतीक है।

आईआईटी आत्महत्या के मामले में पिता ने आज़ाद मैदान पर धरना दिया

मुंबई, 28 सितंबर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में उनके पिता रवीन्द्र वाकोडे ने सोमवार को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। परिवार ने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और साहिल को न्याय दिलाने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि साहिल को संस्थान में कथित तौर पर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था। रवीन्द्र वाकोडे ने कहा कि वे अपने बेटे को न्याय मिलने और जिम्मेदार लोगों को खिलाफ कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। रवीन्द्र वाकोडे के वकील निखिल कांलेले ने बताया कि वाकोडे परिवार आजाद मैदान में भूख हड़ताल कर रहा है और एफआईआर में नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।

एआई की दुविधा अब केवल काल्पनिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उपयोग करना चाहती हैं, जबकि टैक्नॉलॉजी कंपनियाँ अधिक उन्नत सिस्टम बनाने की होड़ में लगी हैं। वही तकनीक, जो अभूतपूर्व उत्पादकता का वादा करती है, आर्थिक और तकनीकी शक्ति को कुछ बड़ी कंपनियों के हाथों में केन्द्रित भी कर सकती है। क्या इन सिस्टमों को बनाने वाली कंपनियों पर खुद को नियंत्रित करने के लिए भरोसा किया जा सकता है? जिम्मेदार इन्वैशेन के बारे में कॉर्पोरेट आश्वासन स्वतंत्र निगरानी का विकल्प नहीं हो सकता। दूसरी ओर, बहुत ज्यादा

जस्टिस विक्रम नाथ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे

वे अगले साल फरवरी में पद संभालेंगे, जब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत रिटायर हो जाएंगे

नई दिल्ली, 28 सितंबर। जस्टिस विक्रम नाथ भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री पूरी करने के चार दशक बाद, जस्टिस नाथ अगले साल फरवरी में देश के अगले सीजेआई की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि वर्तमान 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत अगले साल फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक है।

जस्टिस विक्रम नाथ मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म 24 सितंबर, 1962 में हुआ था। जस्टिस नाथ ने 1983 में साईंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन

■ **सितम्बर 1962 में जन्मे जस्टिस विक्रम नाम 2004 में इलाहाबाद में एडीशनल जज तथा 2006 में परमानेंट जज बने थे। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने से पहले वे गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे।**

किया था। उन्होंने 1986 में लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की थी और इसके बाद 1987 में यूपी बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया।

2004 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनने से पहले, जस्टिस विक्रम नाथ ने वहाँ 17 साल से ज्यादा समय तक प्रैक्टिस की। 2006 में वे परमानेंट जज बने। अगस्त 2021 में

सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने से पहले, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया। 15 अप्रैल 2022 को एक समारोह में बोलते हुए उन्होंने शिया कॉलेज में अपने स्टूडेंट लाइफ के अनुभव शेयर किए थे। उस समय उन्होंने कहा कि कॉलेज ने मेरी सफलता में अभूतपूर्व योगदान दिया। अगर शिया कॉलेज न होता, तो मैं कुछ भी नहीं होता।

सख्त नियम निवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं और शोध की गति को धीमा कर सकते हैं। एआई से जुड़े इस मुद्दे का भारत पर खासा असर पड़ सकता है। देश एक वैश्विक एआई पारवरहाउस के रूप में उभरना चाहता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि यह तकनीक देश की विकास संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करे। एआई से स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा और सरकारी प्रशासन में सुधार हो सकता है। लेकिन पर्याप्त सुरक्षा उपाय न होने पर नागरिकों का डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, नागरिकों को धोखाधड़ी और भेदभाव का सामना

करना पड़ सकता है, जबकि ऑटोमेशन रोजगार को प्रभावित कर सकता है। भारत को ऐसे नियामक ढाँचे की जरूरत है, जो नागरिकों की सुरक्षा करे, लेकिन इन्वैशेन के रास्ते में अनावश्यक रुकावटें न डाले। पारदर्शिता, स्वतंत्र सुरक्षा आकलन, जिम्मेदारी तय करने के स्पष्ट नियम और गंभीर घटनाओं की अनिवार्य रिवॉर्टींग इसके स्पष्ट आधार होने चाहिए। इसका अंतरराष्ट्रीय पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक देश में विकसित किए गए एआई सिस्टम दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। सुरक्षा, सिक्योरिटी और जवाबदेही के लिए आम सिद्धांत तय करने के लिए सरकारों

के बीच सहयोग जरूरी है। अंततः सवाल यह नहीं है कि एआई को नियंत्रित किया जाना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि रेगुलेशन को तकनीकी बदलाव की गति के साथ तालमेल बिनाकर कैसे रखा जाए। न तो कंपनियों को बिना रोकटोक के पूरी शक्ति देना और न ही जरूरत से ज्यादा सरकारी नियंत्रण कोई स्थायी समाधान है। एआई गवर्नंस की असली परीक्षा यह होगी कि क्या समाज इन्वैशेन के लाभों को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य की आकार देने की शक्ति उन लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे, जिन्हें उसके परिणामों के साथ जीना होगा।

चुनाव आयोग के मुद्दे पर खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की आज बैठक बुलाई

नई दिल्ली, 28 सितंबर। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर जारी विवाद के बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के साथ पार्टी की आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर गंभीरता से संघर्ष करेगी और बैठक में सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्य अपने सुझाव देंगे। यह मामला केवल किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है और सीडब्ल्यूसी की बैठक में आगे की रणनीति तैयारी की जा सकती। कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आयोग के कामकाज को लेकर उसके अपने लोगों की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं।

‘जीएसटी अधिकारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बताया कि सेंट्रल गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) 2017, में केवल “गुड्स” (चल संपत्तियां या वस्तुओं) को परिभाषित किया गया है और इस कानून में विशेष रूप से “मनी” (नकदी) के विषय में कोई भी नियम या कायदा नहीं बनाया गया है। सिद्धार्थ रांका का कहना यह अधिनियम केवल चल संपत्ति व वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-फरोख्त पर टैक्स से संबंधित है। इस नियम में “मनी”, यानी नकदी को कहीं परिभाषित भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी तरीके से इस नकदी को जब्त करने की वजह से याचिकाकर्ताओं को न केवल ब्याज, बल्कि मुआवजा भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961, की धारा 132 में ‘तलाशी और अधिग्रहण (जब्त)’ के संबंध में नियम लिखे गये हैं। उन्होंने बताया कि इस धारा में भी स्पष्ट लिखा है कि नकदी, सोना व आभूषण को ‘वस्तु’ की तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये एक ही श्रेणी में नहीं आते हैं। अदालत ने कई हाईकोर्ट के निर्णयों को देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि सीजीएसटी कानून की व्याख्या किसी भी दृष्टिकोण से की जाए, चाहे शब्दशः

तरीके से, या सुनहरे नियम को लगाते हुए; जिससे नियम को लागू करने में विसंगतियों व असंगतियों को दूर रखा जा सके, या शरारत का नियम लागू करके कानून को पढ़ा जाये, ताकि कानून की भाषा अस्पष्ट न रहे, तब भी अदालत जीएसटी अधिकारियों को किसी भी सूत्र में यह अधिकार नहीं दे सकती कि उन्हें छापे के दौरान नकदी जब्त करने का अधिकार है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में पक्षकार जयपुर जेल के जीएसटी विभाग के एडिशनल डायरेक्टर, वरिष्ठ इटेलिजेंस ऑफिसर, उपायुक्त, राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के अन्य अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की जब्त की गई नकदी वापस लौटाने के आदेश दिये। यहां उल्लेखनीय है कि कई मामलों में नकदी जब्त करने की कार्रवाई 2023 और 2024 में की गई थी और राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष कई अन्य के अन्य अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की जब्त की गई नकदी वापस लौटाने के आदेश दिये थे, बल्कि मुआवजा व ब्याज भी देने को कहा था। परंतु हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस गुहार पर कोई आदेश नहीं दिया।

कांग्रेस ने सपा के समक्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) श्रेणियों में बांटा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इसका उद्देश्य बातचीत शुरू होने से पहले संभावित उम्मीदवारों और संगठन की ताकत की पहचान करना है, ताकि गठबंधन होने की स्थिति में पार्टी के पास उम्मीदवारों की कमी न हो। पार्टी ने 150 सीटों को अपनी पहली श्रेणी में रखा है और उम्मीद है कि बातचीत के दौरान वह इन सीटों की मांग करेगी। कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिया है कि वे नहीं चाहते कि सीटों की अंतिम संख्या 100 से कम हो। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है। पार्टी खास तौर पर दलित और ब्राह्मण मतदाताओं पर ध्यान दे रही है और अति पिछड़े समुदायों के बीच भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जहाँ पार्टी का फोकस ब्राह्मण और दलित मतदाताओं पर है, वहीं, वह मुस्लिम नेताओं को भी अपने साथ जोड़ रही है। इस प्रयास में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को प्रमुख भूमिका दी गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद भी शामिल हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में रायबरेली से पार्टी की पीडीए (पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक) रथ यात्रा शुरू की। रायबरेली लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करते हैं। यह कदम ऐसे समय में आया है, जब दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे थे। अखिलेश यादव सार्वजनिक

रूप से यह कहते रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कायम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पांच लोकसभा सीटों जीती थी, जबकि कांग्रेस को एक सीट मिली थी। पांच साल बाद, 2024 के चुनाव में तस्वीर काफी बदल गई। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 लोकसभा सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं। दोनों पार्टियों ने मिलकर 43 सीटें जीतीं, जिससे राज्य में इंडिया गठबंधन, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन से आगे रहा। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने एनडीटीवी से कहा कि इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा। जब अखिलेश यादव ने रायबरेली से अपनी रथ यात्रा शुरू की, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रतिक्रिया दी कि उनकी पार्टी मैनपुरी और इटावा से अपना अभियान शुरू कर सकती है। ज्ञातव्य है कि ये दोनों क्षेत्र समाजवादी पार्टी से मजबूती से जुड़े हुए हैं। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस जहां से चाहे, अपना अभियान शुरू कर सकती है, लेकिन उसे इटावा और मैनपुरी में वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना अभियान जारी रखेगी और उन्होंने उन बयानों को खारिज किया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आसानी से किनारे किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी के बिना कोई कुछ नहीं।” उन्होंने आगे कहा, “किसी गलतफहमी में मत रहिए,

आपने देखा, बंगाल में क्या हुआ।” समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जवाब में जोर देकर कहा है कि अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि पार्टी ने मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों से लेकर चुनाव में कथित अनियमितताओं तक के मुद्दे “सड़क से लेकर विधानसभा तक” उठाए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि गठबंधन कम बनेगा और सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसका फैसला अखिलेश यादव करेंगे, जबकि कांग्रेस की ओर से यह फैसला राहुल गांधी करेंगे।

उज्जैन में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) इस बीच, उज्जैन शहर के काजी खलीलुर रहमान ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और बाजारों में अनावश्यक रूप से न जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मस्जिद से जुड़ा मामला सुलझ लिया गया है। उज्जैन के जिलाधिकारी रौशन कुमार ने भी लोगों से गलत जानकारी पर विश्वास न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित समुदाय के लोग खुद ही धार्मिक स्थल को दूसरी जगह ले जा रहे हैं।

उपराष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया। देश के सम्मान के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने की उनकी भावना भारत के युवाओं के साहस और संकल्प का प्रतीक है।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में जन्मे बाघ शावक का वजन 1 3 किलो हुआ

गत 18 अप्रैल को जन्मे शावक को नियोनेटल केयर यूनिट में 24 घंटे निगरानी में रखा गया था



रही है। नियोनेटल केयर यूनिट में रखे जाने के बाद से शावक के वजन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। उसके विभिन्न चिकित्सा परीक्षण भी कराए गए, जिनकी रिपोर्ट सामान्य आई है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान के उपनिदेशक डॉ. अरविंद माथुर ने बताया कि शावक को

आवश्यक विटामिन, मिनरल्स और अन्य सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं। विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए उसका टीकाकरण और डिवायर्मिंग भी पूरा कराया जा चुका है। शावक की दैनिक गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल शावक

को चिकन और चिकन सूप दिया जा रहा है। नियोनेटल केयर यूनिट में उसके लिए प्राकृतिक वातावरण तैयार किया गया है, ताकि उसे सुरक्षित और अनुकूल माहौल मिल सके। वन्यजीव चिकित्सक और विशेषज्ञ उसके स्वास्थ्य एवं विकास को नियमित निगरानी कर रहे हैं।